बहू से विवाद करने रोका तो कलयुगी बेटे ने कर दी मां की हत्या

जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक-7, गढ़िया मोहल्ला में बहू से विवाद करने रोकने पर कलयुगी पुत्र ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गढ़िया मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय करन कोल शराब के नशे में अपने घर पहुंचा था। वहां भोजन को लेकर उसका अपनी पत्नी क्रांति बाई कोल के साथ विवाद और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान करन की 64 वर्षीय मां गिरान बाई ने बीच-बचाव करने और बहू का पक्ष लेते हुए बेटे को समझाने का प्रयास किया। बीच बचाव के दौरान करन कोल उनके साथ भी झूमा झपटी करने लगा तब मां छुटकर अपने कमरे तरफगई तो करन पीछे से लोहे के पंखा का स्टैंड हाथ लेकर गुस्से में अम्मा के पीछे मारने के लिये दौडा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपनी मां पर हमला कर दिया। सिर पर ताबड़तोड़ वार किए जिस कारण वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीओपी सिहोरा आदित्य सिंघारिया, एफएसएल अधिकारी डॉक्टर नीता जैन मौके पर पहुंची। मौका-ए-वारदात से अहम साक्ष्य जुटाए हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। जिसके बाद गौरहा मे दबिश देते हुये आरोपी करन कोल 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

केस ट्रांसफर करने की मांग नामंजूर, आवेदन निरस्त

जबलपुर। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश कृष्णमूर्ति मिश्रा की अदालत ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि सिर्फ पीठासीन अधिकारी से न्याय न मिलने की आशंका अंतरण का आचार नहीं हो सकती। कायदे से न्याय की विफलता की युक्तियुक्त आशंका विद्यमान होनी चाहिए। जिस पर काल्पनिक और आधारहीन आवेदन निरस्त किया जाता है। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने आपराधिक केस लटकाने का पैंतरा असफल करते हुए केस ट्रांसफर की मांग नामंजूर कर दी।

दरअसल जबलपुर के दीक्षितपुरा के रहने वाले राजेश कुमार अवस्थी के खिलाफ पुलिस थाना माढ़ोताल में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में चल रहा था। आपराधिक मामले में जब शिकंजा कसने लगा तो खुद को जल्दी से फंसता देख आरोपित राजेश ने सत्र न्यायालय में एक झूठी अर्जी लगाई कि जज की पहचान शिकायतकर्ता पक्ष से है, वे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस कारण इस केस को किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। मामला उस समय और गरमा गया जब आरोपी पक्ष ने कोर्ट द्वारा बीएनएनएस की धारा 107 की कार्रवाई शुरू किए जाने को भी पूर्वाग्रह का उदाहरण बताया।

नगर निगम की जल चौपाल से नागरिकों को मिल रही राहत

नवभारत,जबलपुर। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नागरिकों को भरपूर मात्रा में दोनो समय स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं और इसके लिए जल चौपाल लगाकर नागरिकों की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। जल विभाग के कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को संभाग क्रमांक 7 इंदिरा गांधी वार्ड और संभाग क्रमांक 8 भानतलैया के अंतर्गत खेरमाई वार्ड में त्रिमूर्ति मंदिर के समीप जल चौपाल लगाई गई। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर नागरिकों की शिकायतें सुनीं और रिकॉर्ड समय में उनका समाधान कर नागरिकों को बड़ी राहत दी।

उन्होंने बताया कि 28 जगहों पर पाइप लाइन लीकेज को तुरंत ठीक किया गया। 5 स्थानों पर बंद पड़े हैंडपंपों को सुधारा गया और 9 स्थानों पर ट्यूबवेल की मरम्मत कर उन्हें दोबारा चालू किया गया। नागरिकों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए 18 अलग-अलग स्थानों पर जल परीक्षण किया गया, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। संजय गांधी वार्ड में अक्सा मस्जिद के पास पाइप लाइन विस्तारीकरण का कार्य किया गया, जिससे अब नए क्षेत्रों तक पानी आसानी से पहुंच सकेगा। राधा कृष्णन वार्ड में राइजिंग मेन पाइप लाइन से किए गए अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई की गई, जिससे वैध उपभोक्ताओं को पूरे प्रेशर के साथ पानी मिल सके।

महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' और निगमायुक्त श्री अहिरवार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का अपव्यय न करें और यदि उनके क्षेत्र में पानी से जुड़ी कोई समस्या या लीकेज है, तो तुरंत नजदीकी जल चौपाल या नगर निगम के संभागीय कार्यालय में सूचित करें।

भू-माफिया के खिलाफ लामबंद हुए श्री परिसर के रहवासी

नगर निगम को दिया अल्टीमेटम

7 दिनों में मांगें पूरी करो नहीं तो मुख्यालय का होगा घेराव

नवभारत,जबलपुर। अमखेरा स्थित वार्ड क्रमांक 74 (ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड) के अंतर्गत आने वाले 'श्री परिसर कॉलोनी फेस-1 एवं फेस-2' के सैकड़ों नागरिकों और विशाल मातृशक्तियों का आक्रोश फिर से सड़कों पर नजर आया। पिछले एक वर्ष से प्रशासनिक सुस्ती और क्षेत्रीय पार्षद की नाकामी झेल रहे प्रताड़ित रहवासियों ने एकजुट होकर उग्र प्रदर्शन करते हुए नगर पालिक निगम जबलपुर के 'कॉलोनी सेल अधीक्षक' को सीधे तौर पर कानूनी धाराओं से सुसज्जित एक 'विधिक प्रतिनिधित्व एवं वैधानिक अंतिम मांग पत्र' सौंपा।

रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में बिना लाइसेंस वाले इन दोषी कॉलोनाइजरों पर नगर निगम अधिनियम की धारा 292-घ के तहत एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती और सड़क, नाली व स्ट्रीट लाइट की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं होती, तो 500 से अधिक घरों की जनता नगर निगम मुख्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव और उग्र जन-आंदोलन करने पर विवश होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि वे वर्ष 2015 से लेकर अभी तक नियमित टैक्स चुका रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं को क्षेत्र के करीब 500 घरों की जनता तरस रही है।

बिना लाइसेंस के करोड़ों की जालसाजी

ज्ञापन सौंपने के दौरान नागरिकों ने विधिक साक्ष्यों के साथ अधिकारियों को बताया कि मुख्य कॉलोनाइजरों मुन्ना तैयुब, अमजद हुसैन राईन, धर्मेंद्र रैकवार एवं उनके संलिप्त एजेंट मुकेश कोरी के पास कॉलोनी काटने का कोई वैध 'कॉलोनाइजर लाइसेंस' उपलब्ध नहीं है। इन भूमाफियाओं ने नगर तथा ग्राम निवेश के नियमों तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 22-क (म.प्र. राज्य संशोधन) के विधिक अधिदेश का घोर उल्लंघन करते हुए, क्रेताओं व पंजीयन विभाग से तथ्यों को छुपाकर अवैध रूप से रजिस्ट्रियां निष्पादित कराईं। पक्की सड़क, कंक्रीट नाली और स्थाई बिजली देने का झूठा वादा कर मध्यमवर्गीय नागरिकों से करोड़ों रुपये ऐंठ लिए गए और आज जनता को नारकीय जीवन जीने के लिए बेसहारा छोड़ दिया गया है। इस निर्णायक और ऐतिहासिक प्रदर्शन में मुख्य रूप से सुनील तिवारी, दीपक सोनी, रोहित प्रकाश दत्त, संजीव सोनी, अनुपमा ठाकुर, दुर्गा गुप्ता, आरती अग्रवाल, संगीता विश्वकर्मा, प्रतिभा ठाकुर, शीला मेहता, वर्षा सोनी, स्वाति स्वर्णकार, कंचन कोष्टा, दीक्षा कोष्टा, ऋचा शुक्ला, प्रीति वैद्य, रूमी शेख, मल्लिका सोनकर, ममता बर्मन, रानी साहू सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं, बच्चे एवं प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।

ईसीजीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393 / 1 से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई - 400069, भारत

• **टेलि.** : 022-66590510 • **टोल फ्री क्र.:** 1800-22-4500 • **ई-मेल:** marketing@ecgc.in • हमें **www.ecgc.in** पर संपर्क करें।

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 124 सीआईएन U74999MH1957GOI010918

ECGC/HO/01/26-27

पंजीकरण की तिथि: 27 सितंबर, 2002

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें। हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे।

31 मार्च 2026 समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम

प्रपत्र एनएल - 1 - बी-आरए
राजस्व खाता

सं. क्र.	विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)	मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	एनएल - 4	1172,78.54	1155,69.11
2.	निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि		34,68.00	25,73.30
3.	ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		309,48.71	357,98.24
4.	अन्य			
	(क) अन्य आय			
	(i) शुल्क		1,92.11	1,76.12
	(ii) संपत्ति की बिक्री पर लाभ		27.68	4.48
	(iii) विविध आय		4,81.82	7,00.90
	(ख) शेयरधारक के खाते से योगदान			
	(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्ययों के प्रति		-	-
	(ii) प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी निदेशक/अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक के प्रति		-	-
	कुल (क)		**1523,96.86**	**1548,22.15**
5.	उपगत दावे (निवल)	एनएल - 5	388,53.62	(632,01.01)
6.	कमीशन	एनएल - 6	(14,28.10)	(11,34.44)
7.	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	एनएल - 7	390,46.67	364,28.08
8.	प्रीमियम में कमी		-	-
	कुल (ख)		**764,72.19**	**(279,07.37)**
9.	**विविध से परिचालन लाभ / (हानि) (ग) = (क - ख)**		**759,24.67**	**1827,29.52**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण		759,24.67	1827,29.52
	आपात प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	कुल (ग)		**759,24.67**	**1827,29.52**

प्रपत्र एनएल - 2 - बी-पीएल
लाभ व हानि खाता

सं. क्र.	विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)	मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए (रु. लाख)
1.	**परिचालन लाभ / (हानि)**	एनएल - 1		
	(क) अग्नि बीमा		-	-
	(ख) मरीन बीमा		-	-
	(ग) विविध बीमा		759,24.67	1827,29.52
2.	**निवेश से आय**			
	(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		893,56.93	807,36.39
	(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ		98,70.45	57,27.67
	(ग) निवेश की बिक्री पर हानि		-	-
	(घ) निवेश पर प्रीमियम / छूट की ऋणमुक्ति		(13,00.68)	(11,95.50)
3.	**अन्य आय**			
	(क) अन्य ब्याज आय		2,64.92	101,48.65
	(ख) अन्य विविध आय और फैक्टरिंग आय		3,29.47	3,94.63
	कुल (क)		**1744,45.76**	**2785,41.36**
4.	**प्रावधान (कराधान के अलावा)**			
	(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए		-	-
	(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		(28.90)	60.75
5.	**अन्य व्यय**			
	(क) बीमा कारोबार के अतिरिक्त अन्य व्यय		2,43.66	1,42.47
	(ख) खराब ऋण को बट्टे खाते में डालना / बैड डेट्स		-	15,10.93
	(ग) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज		-	-
	(घ) सीएसआर गतिविधियों पर व्यय		55,70.00	45,20.00
	(ङ) जुर्माने		-	-
	(च) पॉलिसीधारक खाते में योगदान		-	-
	(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्ययों के प्रति		-	-
	(ii) प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी निदेशक / अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पारिश्रमिक के प्रति		-	-
	कुल (ख)		**57,84.76**	**62,34.15**
6.	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (क - ख)**		**1686,61.00**	**2723,07.21**
7.	**घटाएँ:**			
	(क) कराधान के लिए प्रावधान			
	- आस्थगित कर		3,87.26	16,34.08
	- चालू कर		408,00.00	656,00.00
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन		10.52	(29,08.83)
	(ग) कर समायोजन पूर्व वर्ष		(2,48.45)	3,14.63
8.	**कर पश्चात लाभ / (हानि)**		**1277,11.67**	**2076,67.33**
9.	**विनियोजन**			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश		-	-
	(ख) अदा किया गया अंतिम लाभांश		-	-
	(ग) फैक्टरिंग योजना के लिए प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	(घ) सामान्य निधियों में अंतरण		886,69.67	1642,87.33
	पिछले वर्ष से आगे लाये गए लाभ / हानि शेष			
	तुलन पत्र में आगे लाये गए शेष		390,42.00	433,80.00

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई, 2026

प्रपत्र एनएल - 3 - बी-बीएस
तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं.	31 मार्च 2026 को (रु. लाख)	31 मार्च 2025 को (रु. लाख)
निधियों के स्त्रोत			
शेयर पूंजी	एनएल - 8	4338,00.00	4338,00.00
प्रारक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	एनएल - 10	9990,07.52	9146,75.85
शेयर पूंजी के लिए अग्रिम राशि		-	-
उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
- शेयरधारक		876,39.50	1107,18.70
- पॉलिसीधारक		307,92.25	497,43.18
उधार	एनएल - 11	-	-
कुल		**15512,39.27**	**15089,37.73**
निधियों के अनुप्रयोग			
निवेश – शेयरधारक	एनएल - 12	13331,64.57	12270,68.69
निवेश - पॉलिसीधारक	एनएल - 12ए	4684,09.19	5512,91.75
ऋण	एनएल - 13	-	-
स्थिर परिसंपत्तियाँ	एनएल - 14	456,55.87	463,34.64
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		23,59.43	27,46.69
चालू परिसंपत्तियाँ			
नकद तथा बैंक शेष	एनएल - 15	1570,86.19	1101,78.42
अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ	एनएल - 16	730,48.66	803,13.23
उप कुल (क)		**2301,34.85**	**1904,91.65**
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
चालू देयताएँ	एनएल - 17	4480,81.19	4358,96.06
प्रावधान	एनएल - 18	804,03.45	730,99.63
उप कुल (ख)		**5284,84.64**	**5089,95.69**
निवल चालू परिसंपत्तियाँ (ग) = (क - ख)		(2983,49.79)	(3185,04.04)
विविध व्यय (जिसका लेखा-जोखा अभी तक समाप्त या समायोजित नहीं हुआ हो)	एनएल - 19	-	-
लाभ एवं हानि खाते में डेबिट शेष		-	-
कुल		**15512,39.27**	**15089,37.73**

प्रपत्र एनएल-20-विश्लेषणात्मक अनुपात अनुसूची
गैर जीवन कंपनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

सं. क्र.	विवरण	मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए	मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए
1.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर	6.77%	7.54%
2.	निवल मूल्य की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात	0.10	0.10
3.	निवल मूल्य की वृद्धि दर	6.25%	13.87%
4.	निवल प्रतिधारण अनुपात	83.19%	82.82%
5.	निवल कमीशन अनुपात	-1.18%	-1.00%
6.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय अनुपात	29.69%	29.77%
7.	निवल अंकित प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय अनुपात	31.38%	31.68%
8.	निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे	33.13%	-54.69%
9.	दावे प्रावधानों की तुलना में प्रदत्त दावे	21.13%	9.65%
10.	संयुक्त अनुपात	64.51%	-23.01%
11.	निवेश आय अनुपात	7.40%	7.34%
12.	निवल प्रीमियम की तुलना में तकनीकी प्रारक्षित निधियाँ अनुपात	3.60	3.89
13.	हामीदारी संतुलन अनुपात	34.79%	124.15%
14.	परिचालन लाभ अनुपात	64.74%	158.11%
15.	देयताओं की तुलना में चल परिसंपत्तियाँ अनुपात	0.59	0.49
16.	निवल अर्जन अनुपात	105.22%	183.49%
17.	निवल मूल्य पर प्रतिफल अनुपात	8.91%	15.40%
18.	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता अनुपात	56.64	57.13
19.	एनपीए अनुपात		
	सकल एनपीए अनुपात		
	निवेश:	0.50%	0.51%
	फैक्टरिंग :	93.66%	84.85%
	निवल एनपीए अनुपात		
	निवेश:	0.50%	0.51%
	फैक्टरिंग :	93.66%	84.85%
20.	ऋण- इक्विटी अनुपात	-	-
21.	ऋण सेवा बीमाकृत राशि अनुपात	-	-
22.	ब्याज सेवा बीमाकृत राशि अनुपात	-	-
23.	प्रति शेयर अर्जन	29.44	47.87
24.	प्रति शेयर पुस्तकीय मूल्य	330.29	310.85

टिप्पणियाँ:

1) यह सार्वजनिक प्रकटीकरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/एमआईएससी/256/09/2021 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के अनुसार किया गया है।
2) उपरोक्त वित्तीय परिणामों की पहले लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई, और तत्पश्चात इन्हें 26 मई, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया।
3) पिछले वर्ष के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन:समायोजित/पुन:वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
हस्ताक्षर/-

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डिआईएन - 10375617

बीमा आग्रह की विषयवस्तु है।